[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 1/2018 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जनवरी, 2018

सा०का०नि० (अ)- केन्द्र सरकार माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 8/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 647 (अ), तारीख 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :-
उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

(क) उप-वाक्य (i) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उप-वाक्य (iii) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017- केंद्रीय कर, दिनांक 27 जून, 2017, को सा.का.नि. 647(अ), दिनांक 27 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2017- केंद्रीय कर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1287(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।